कलेक्टर का आदेश बेअसर, सड़कों पर गौवंश का कब्जा

मुख्य मार्गों में आवारा पशुओं का लगा रहता है जमघट

नवभारत न्यूज

पन्ना, 06 अगस्त। गत माह कलेक्टर पन्ना ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर आवारा गौवंश पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाते हुये कड़े दिशा निर्देश जारी किये थे लेकिन उसका एक प्रतिशत असर भी गूंगी बहरी नगर पालिका प्रशासन की नजर में नही दिख रहा। पूरे बाजार से लेकर मुख्य मार्गों में आवारा पशुओं का जमघट रहता है और शाम होते ही मुख्य मार्गो में गौवंश सड़कों पर विश्राम करते नजर आते है।

नगर में निराश्रित गोवंश की समस्या अब गंभीर रूप लेती जा रही है। दिनभर इधर-उधर घूमने वाले मवेशी शाम होते ही मुख्य सड़कों पर डेरा जमा लेते हैं, जिससे आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुख्य मार्ग पर बड़ी संख्या में गोवंश के बैठने से यातायात प्रभावित हो रहा है और दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बना हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार, जैसे ही सूरज ढलता है, सड़कें निराश्रित गोवंश का ठिकाना बन जाती हैं। मुख्य मार्ग पर जगह-जगह बैठे मवेशियों के कारण दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों को काफी सावधानी बरतनी पड़ती है। सबसे अधिक परेशानी रात के समय होती है, जब अंधेरे में सड़क पर बैठे पशु आसानी से दिखाई नहीं देते। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यह समस्या लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन जिम्मेदार विभागों द्वारा अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गोवंश संरक्षण के साथ-साथ आमजन की सुरक्षा भी जरूरी है।

यदि समय रहते सड़क से निराश्रित पशुओं को हटाने और उनके लिए उचित व्यवस्था करने की पहल नहीं की गई तो किसी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। नगरवासियों ने नगर पालिका प्रशासन और संबंधित विभाग से मांग की है कि निराश्रित गोवंश को चिह्नित कर उन्हें सुरक्षित गौशाला या अन्य उचित स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था किए जाने की मांग की है।

जिले में 397 .1 मिमी औसत वर्षा दर्ज

पन्ना, 06 अगस्त। पन्ना जिले में एक जून से 6 अगस्त 2026 तक 397.1 मिमी अर्थात 15.6 इंच औसत वर्षा दर्ज की गई है, जबकि उक्त अवधि में गत वर्ष 875 मिमी अर्थात् 34.4 इंच औसत वर्षा दर्ज की गई थी। जिले की औसत वर्षा 1176.4 मिमी है।

भू-संसाधन प्रबंधन कार्यालय पन्ना से मिली जानकारी अनुसार अब तक सर्वाधिक वर्षा अजयगढ़ में 723.0 मिमी दर्ज की गई है, जबकि सबसे कम वर्षा 253.4 मिमी सिमरिया में दर्ज की गई। इसी तरह पन्ना में 439.7 मिमी, देवेन्द्रनगर में 333.8 मिमी, गुनौर में 336.8 मिमी, अमानगंज में 293.2 मिमी, पवई में 369.3 मिमी, शाहनगर में 331.2 मिमी और रैपुरा में 493.6 मिमी वर्षा दर्ज की गई है।

यदुपति सिंघानिया आईटीआई के 32 प्रशिक्षणार्थियों का चयन

नवभारत न्यूज

पन्ना, 06 अगस्त। स्थानीय यदुपति सिंघानिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईटीआई) में देश की जानी-मानी कंपनी लार्सन एंड टूब्रो (एलएंडटी) द्वारा आयोजित कैंपस इंटरव्यू में संस्थान के 32 प्रशिक्षार्थियों का चयन हुआ है।

जेके सीमेंट द्वारा संचालित इस संस्थान में मेसन ट्रेड के विद्यार्थियों के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया गया था, जिसमें युवाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। संस्थान के प्राचार्य मनीष कुमार बुनकर ने बताया कि चयनित सभी 32 प्रशिक्षार्थी इस समय कंपनी के बेंगलुरु स्थित प्रशिक्षण केंद्र में विशेष ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं। ट्रेनिंग पूरी होते ही इन सभी युवाओं को एलएंडटी कंपनी की विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं और फील्ड लोकेशनों पर तैनात किया जाएगा। इससे संस्थान के विद्यार्थियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। प्राचार्य बुनकर ने चयनित विद्यार्थियों को उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि संस्थान का मुख्य उद्देश्य उद्योगों की मांग के अनुसार कुशल तकनीशियन तैयार करना है। इस तरह के कैंपस प्लेसमेंट से न केवल विद्यार्थियों को बेहतर रोजगार मिल रहा है, बल्कि संस्थान का प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी लगातार मजबूत हो रहा है। उन्होंने कहा कि उद्योगों के सहयोग से चलाए जा रहे ये अभियान युवाओं के कौशल विकास और रोजगार सृजन की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो रहे हैं।

सड़कों में निर्माण, अवैध पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई कब ?

नवभारत न्यूज

पन्ना, 06 अगस्त। सार्वजनिक सड़कों पर निर्माण सामग्री का भण्डारण, मोहल्लों में संकीर्ण सड़कों पर चार पहिया वाहनों की पार्किंग, निर्माण के दौरान सड़कों पर ही सीमेन्ट रेत से मसाला तैयार कर मार्ग को बाधित करना एवं सड़कों पर ही कई लोगों द्वारा पालतू मवेशियों को बांधना इस तरह का दृश्य शहर में कई जगह देखा जा सकता है।

इस मामले में न तो कोई कार्रवाई होती और न ही दोषियों के खिलाफ चालानी कार्रवाई। जब छूट मिल जाती है और कोई देखने वाला नहीं होता तो यही होता।

अजीब स्थिति है सड़कों की - वास्तव में सड़कों का निर्माण आम लोगों के चलने के लिये होता है। सुविधायें दी जाती हैं ताकि लोग अपने घरों तक आसानी से पहुंच सकें। किन्तु यहां सड़कों को लोग अपनी संपत्ति मान लेते हैं। जिसके घर के सामने से सड़क निकल जाती है वहां फिर सड़कों में भी कुर्सी टेबल रखकर दरबार शुरू कर दिया जाता है। लोगों ने पक्के मकान तो निर्मित करवा लिये किन्तु उठने बैठने और सामान्य कामकाज के लिये घरों के आसपास कोई जगह तक नहीं छोड़ी, यहां तक कि सड़क का हिस्सा भी दबा लिया। सड़कों को भी संकीर्ण बना दिया। जब इससे भी पेट नहीं भरा तो घरों के मरम्मत एवं निर्माण लिये क्रय की गई निर्माण सामग्री को भी सड़क में ही डम्प कर दिया। किसी ने सड़क में चार पहिया वाहन के लिये पार्किंग भी बना दिया। ऐसे कई नमूने हैं जो सड़की स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। किन्तु नगर पालिका का अमला भी ऐसा है जो कुछ खास चौराहों व मुख्य सड़कों तक ही सीमित है।

पार्किंग एक बड़ी समस्या

यह भी देखा जाता है जिन शासकीय या अशासकीय प्रतिष्ठानों में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोग किसी न किसी कार्य से पहुंचते हैं वहां पार्किंग के अभाव में सड़कों को ही पार्किंग बना दिया जाता है। किसी भी बैंक के पास पार्किंग का स्थान नहीं है। भवन किराये पर है तो किराया भवन स्वामी ले रहा है। जबकि पार्किंग के लिये सार्वजनिक सड़क का उपयोग हो रहा है। इसी तरह से शहर में कई ऐसे बड़े बहुमंजिला व्यावसायिक भवन हैं जहां पार्किंग की व्यवस्था नहीं है।

स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक आयोजित, मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए बनी रणनीति

नवभारत न्यूज

पन्ना, 06 अगस्त। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर. पी. तिवारी की अध्यक्षता में एएनएम ट्रेनिंग सेंटर पन्ना में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान अप्रैल से जुलाई माह तक संचालित राष्ट्रीय कार्यक्रमों और विभागीय योजनाओं की लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धियों का विस्तृत लेखा-जोखा लिया गया।

इस दौरान अनमोल पोर्टल पर गर्भवती महिलाओं के प्रथम तिमाही पंजीयन, समग्र आईडी जनरेशन में आ रही व्यावहारिक समस्याओं, हाई रिस्क गर्भवती माताओं के चिन्हांकन तथा उनके समुचित उपचार एवं प्रबंधन पर गहराई से चर्चा की गई। साथ ही गंभीर और मध्यम एनीमिक गर्भवती माताओं की उचित देखभाल एवं पोर्टल पर उनकी प्रविष्टि की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

बैठक के दौरान वर्ष 2026-27 में दर्ज मातृ मृत्यु के प्रकरणों की बिंदुवार समीक्षा करते हुए उनके कारणों पर विस्तार से मंथन किया गया। स्थिति में सुधार लाने और आगामी महीनों में मातृ मृत्यु दर में प्रभावी कमी लाने के लिए ठोस रणनीति बनाकर कार्य करने पर जोर दिया गया। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. डी. पी. प्रजापति ने मैदानी कार्यकर्ताओं और अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे एएनसी चेकअप के दौरान ही हाई रिस्क माताओं की पहचान कर उनका समय पर इलाज सुनिश्चित करें। उन्होंने प्रसव की संभावित तिथि से पहले ही गर्भवती महिलाओं को प्रसव केंद्र में भर्ती कराने के प्रयास करने पर बल दिया और बताया कि इसके लिए सभी केंद्रों में बर्थ वेटिंग रूम बनाए गए हैं। इसके अलावा, प्रसव के बाद 42 दिनों तक एचवीवाईसी योजना के तहत निर्धारित गृह भेंट के दौरान आवश्यक जांचें करने तथा परिजनों को बेहतर खान-पान, नवजात शिशु की देखभाल एवं स्वच्छता की समझाइश देने के निर्देश दिए गए।

बैठक में ये रहे उपस्थित

इस समीक्षा बैठक में आयुष्मान योजना, सीएम हेल्पलाइन, परिवार कल्याण, टीबी मुक्त अभियान तथा मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम की प्रगति का भी जायजा लिया गया। कार्यक्रम में जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी डॉ. एम. के. गुप्ता, जिला मलेरिया अधिकारी अरुणेंद्र प्रताप सिंह, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉ. अभिषेक जैन (देवेंद्रनगर), डॉ. शोभाराम शर्मा (अजयगढ़), डॉ. सुरेश सोनी (पवई), डॉ. जयपाल अहिरवार (अमानगंज), डॉ. सर्वेश लोधी (शाहनगर) सहित सभी ब्लॉकों के बीपीएम, बीसीएम, बीईई, सेक्टर सुपरवाइजर एवं अन्य विभागीय अधिकारी व कर्मचारी प्रमुख रूप से मौजूद रहे।

देवेन्द्रनगर के मत्स्य बाजार में की छापामार कार्रवाई

नवभारत न्यूज

पन्ना, 06 अगस्त। मत्स्य पालन विभाग द्वारा बंद ऋतु में आगामी 15 अगस्त तक सभी प्रकार के मत्स्याखेट पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस दौरान मत्स्य का विक्रय और परिवहन भी प्रतिबंधित है। क्लोज सीजन में गत बुधवार को विभाग की टीम द्वारा देवेन्द्रनगर के मत्स्य बाजार में छापामार कार्यवाही की गई।

इस दौरान 25 किलो मछली लावारिस हालत में जप्त की गई और एक हजार रूपए नीलामी राशि शासन के खाते में जमा करवाई गई। निरीक्षण कार्यवाही में सहायक संचालक पी.एल अहिरवार सहित सहायक मत्स्य अधिकारी एच.सी. विश्वकर्मा, नाथूराम अहिरवार एवं प्रियंका नामदेव भी शामिल रहीं।

बीज विक्रेताओं की कई दुकानें बिना लाइसेंस संचालित

नवभारत न्यूज

पन्ना, 06 अगस्त। अब कोई भी बीज की दुकान बिना लाईसेंस के संचालित नहीं हो सकती। बीज विक्रेता को लाईसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इसी तरह से निजी रोपणियों को भी लाईसेंस लेना होगा। बिना लाईसेंस कोई भी निजी रोपणी संचालित नहीं हो सकती।

इस संबंध में विभागीय स्तर पर निर्देश भी जारी हो चुके हैं किन्तु अभी तक अवैध कारोबारियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाई है। विभाग ने इस मामले में अभी तक न तो सर्वेक्षण किया और न ही ऐसे कारोबारियों की पहचान ही की जो अवैधानिक रूप से दुकानों का संचालन कर रहे हैं।

उद्यानिकी विभाग से लेना होगा लाईसेंस - बताया गया है कि कोई भी निजी बीज विक्रेता सब्जी, मसाला, पुष्प एवं औषधीय फसलों के बीजों का कारोबार बिना लाईसेंस के नहीं कर सकता। उसे व्यापार करने के लिये उद्यानिकी विभाग से लाईसेंस लेना होगा। बीजों के व्यापार करने के लिये विक्रेता को उद्यानिकी विभाग से लाईसेंस लेना अनिवार्य किया गया है। बिना बीज लाईसेंस के व्यापार करते पाये जाने पर विक्रेताओं के विरुद्ध बीज अधिनियम-1966 एवं बीज नियंत्रण आदेश 1983 के प्रावधानों अनुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदेही सम्बन्धित निजी बीज विक्रेता की होगी।

तैयार नहीं हो सकी सूची - उद्यानिकी विभाग ऐसी दुकानों की सूची तैयार करनी चाहिये जो अवैधानिक रूप से संचालित हैं। कई ऐसे भी व्यापारी हैं जिनके ऊपर अभी तक कोई असर नहीं हो रहा है। कारण विभाग के अधिकारियों की निष्क्रियता है। आज तक एक भी दुकान को सील नहीं किया गया, किसी भी दुकान की जांच या सर्वे की कार्रवाई नहीं हुई। लिहाजा कई व्यापारी घटिया बीज एवं अमानक स्तर के बीजों एवं अन्य सामग्रियों की बिक्री धड़ल्ले से कर रहे हैं।

रोपणियों का भी अवैध कारोबार

बीज की ही तरह यह भी देखा जा रहा है कि जिले में पौधों की बिक्री का भी अवैध कारोबार चल रहा है। जिनके पास कोई रोपणी ही नहीं है वे लोग भी यहां पौधों की बिक्री का कारोबार कर रहे हैं। ऐसे लोग पौधे कहां से प्राप्त करते हैं और कैसे प्राप्त करते हैं। नियमों का कितना पालन करते हैं यह भी खोज का विषय है। जबकि नियम है कि पौधों की बिक्री भी वही कर सकता है जिसके पास वैध रोपणी हो और उसे पौधे तैयार करने व बिक्री करने का लाईसेंस मिला हुआ हो। किन्तु यहां कई कारोबारी हैं जो अवैधानिक रूप से पौधों की बिक्री कर रहे हैं। ऐसे कारोबारियों के खिलाफभी अब कार्रवाई हो सकती है।

जन सुरक्षा युवा सृजन संवाद का आगाज

छात्र बनेंगे कानून-व्यवस्था के प्रति जागरूक

नवभारत न्यूज

पन्ना, 06 अगस्त। विद्यार्थियों और युवाओं में कानून, सामाजिक सुरक्षा और नागरिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से सांदीपनी शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पन्ना में जन सुरक्षा युवा सृजन संवाद कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ हुआ।

मध्य प्रदेश पुलिस के सहयोग से आयोजित इस खास कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा विभाग, सृजन, यूएनएफ्पीए और जन साहस संस्थाएं सहभागी भूमिका निभा रही हैं। कार्यक्रम की शुरुआत पन्ना पुलिस अधीक्षक श्रीमती निवेदिता नायडू द्वारा की गई। सामुदायिक पुलिसिंग को मजबूत करने और कक्षा 11वीं एवं 12वीं के छात्र-छात्राओं की सामाजिक सुरक्षा क्षमता को बेहतर बनाने के संकल्प के साथ यह अभियान शुरू किया गया है। 14 अगस्त तक चलने वाले इस 12 दिवसीय आयोजन में विद्यार्थियों को संवैधानिक अधिकारों, बुनियादी कानूनों, साइबर सुरक्षा, इंटरनेट के जिम्मेदार उपयोग, सड़क सुरक्षा, नशा और हथियारों के दुष्प्रभावों के बारे में विस्तार से समझाया जाएगा। इसके साथ ही बच्चों को पुलिस की कार्यप्रणाली को करीब से समझाने के लिए पुलिस स्टेशन और पुलिस कंट्रोल रूम का शैक्षणिक भ्रमण भी कराया जाएगा। शुभारंभ अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्रीमती निवेदिता नायडू और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री वंदना सिंह चौहान ने छात्र-छात्राओं को बाल अधिकार, पॉक्सो अधिनियम, साइबर अपराध और लैंगिक समानता जैसे गंभीर विषयों पर मार्गदर्शन दिया।

पहले दिन के प्रशिक्षण सत्र में पवई एस.डी.ओ.पी. श्रीमती भावना सिंह दांगी और प्रशिक्षक शिक्षकों ने संवाद के जरिए कई महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियां साझा कीं। इस कार्यक्रम के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री वंदना सिंह चौहान, उप पुलिस अधीक्षक खिलावन सिंह कंवर, मास्टर ट्रेनर भावना सिंह दांगी, महिला थाना प्रभारी स्मिता सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी आकांक्षा रावत, प्राचार्य जयकरण पटेल तथा प्रशिक्षक अजय कुमार राय एवं मनोज कुमार खरे सहित पुलिस और शिक्षा विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी और शिक्षक उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान का शुभारंभ आज

पन्ना, 06 अगस्त। शासन के निर्देशानुसार पन्ना जिले में भी 7 अगस्त से 8 जनवरी तक मुख्यमंत्री जन विशवास अभियान संचालित होगा। अभियान में प्रत्येक शुक्रवार को जिला, अनुविभाग और विकासखंड स्तरीय अधिकारी क्षेत्र भ्रमण कर आमजन, हितग्राही व उद्यमियों से संवाद स्थापित करेंगे। शासन की योजनाओं व सेवाओं के क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक परीक्षण कर भ्रमण के दौरान प्राप्त शिकायतों का मौके पर निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। इस क्रम में शुक्रवार, 7 अगस्त को अजयगढ़ विकासखंड के सिंहपुर एवं धरमपुर में शिविर लगेगा।

अमानगंज में बाइक भिड़ंत में घायल दो युवकों को डायल-112 ने पहुंचाया अस्पताल

नवभारत न्यूज

पन्ना, 06 अगस्त। जिले के थाना अमानगंज क्षेत्र अंतर्गत गौरा गांव के पास दो मोटरसाइकिल आपस में टकरा गईं। इस सड़क हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना 5 अगस्त की रात 10:30 बजे डायल-112 को मिली।

सूचना मिलते ही तत्काल अमानगंज क्षेत्र में तैनात डायल-112 एफआरव्ही वाहन को मौके के लिए रवाना किया गया। डायल-112 के स्टाफने तत्परता दिखाते हुए बिना समय गंवाए घटनास्थल पर पहुंचे। जवानों ने दोनों घायलों को प्राथमिक मदद देते हुए अपने एफआरव्ही वाहन से तुरंत अमानगंज अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज जारी है। पुलिस जवानों की इस त्वरित कार्रवाई से घायलों को समय पर डॉक्टरी सहायता मिल सकी।

प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना का उठाएं लाभ

पन्ना, 06 अगस्त। असंगठित कामगारों के लिए बतौर पेंशन योजना प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना संचालित की जा रही है। यह केन्द्र सरकार की महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसके तहत 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 3 हजार रूपए की निश्चित मासिक पेंशन मिलती है। 18 से 40 वर्ष आयु के श्रमिक, जिनकी मासिक आय 15 हजार रूपए अथवा इससे कम है, इस योजना के लिए पात्र होंगे। इसमें श्रमिक के साथ ही केन्द्र सरकार द्वारा भी बराबर अंशदान प्रदान किया जाता है। सहायक श्रम पदाधिकारी संजय आर्या ने बताया कि प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में पंजीकरण के लिए कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है।

217 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को नोटिस जारी

नवभारत न्यूज

पन्ना, 06 अगस्त। महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला पन्ना द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन की समीक्षा के दौरान जिले की विभिन्न परियोजनाओं में पदस्थ 217 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के अपने संबंधित ग्राम अथवा वार्ड में निवास न कर, दूरस्थ स्थानों से आवागमन किए जाने के प्रकरण संज्ञान में आए हैं।

शासकीय दिशा-निर्देशों के इस उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी अवधेश सिंह ने संबंधित परियोजना अधिकारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। जारी नोटिस में शासन के नियमानुसार संबंधित कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है, तथा यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके स्पष्ट कारणों के बारे में अवगत कराने के निर्देश दिए हैं।

जिला कार्यक्रम अधिकारी ने सभी संबंधित परियोजना अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर संबंधित अभिलेख एवं अब तक की गई कार्यवाही का संपूर्ण विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा है।

महापुराण के लिए निकली गई नगर में कलश यात्रा

नवभारत न्यूज

अजयगढ़, 06 अगस्त। अजयगढ़ नगर में भूतेश्वर समिति के द्वारा अपूर्ण कथा का आयोजन किया जा रहा है जो 6 अगस्त से 16 अगस्त तक महेश्वरी माता मंदिर में होगी।

इसी उपलक्ष्य में आज भारी संख्याओं में महिलाओं ने रामबाग मंदिर से कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा के आगे नवयुवक धर्म पताका लिए हुए आगे आगे चल रहे थे। सैकड़ो की तादात में महिलाएं सिर पर कलश लेकर कलश यात्रा में शामिल हुई जो कलश यात्रा नगर का भ्रमण करते हुए देवेंद्र मडिया महेश्वरी माता मंदिर में समाप्त हुई जहां पर महापुराण की कथा का आयोजन किया जाना है।

स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां पूरी, अधिकारियों को सौंपी गईं जिम्मेदारियां

नवभारत न्यूज

अजयगढ़, 06 अगस्त। अजयगढ़ तहसील सभागार में आगामी स्वतंत्रता दिवस को गरिमामय और परंपरागत तरीके से मनाने के लिए एसडीएम आलोक मार्को की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक संपन्न हुई।

इस बैठक में तहसीलदार सुरेंद्र कुमार, नगर परिषद अध्यक्ष सीता गुप्ता, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सतीश सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान राष्ट्रीय पर्व को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों को अलग-अलग दायित्व सौंपे गए। स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह अजय पाल स्टेडियम (छोटी फील्ड) में आयोजित किया जाएगा। तय समय सारणी के अनुसार सभी शासकीय व अशासकीय संस्थाओं के प्रमुख प्रातः 7:30 बजे अपने-अपने कार्यालयों में ध्वजारोहण करेंगे। इसके पश्चात शिक्षण संस्थानों के प्रमुख प्रभात फेरी निकालते हुए स्कूली बच्चों को प्रातः 8:30 बजे मुख्य कार्यक्रम स्थल पर लाएंगे। शासन के निर्देशों के तहत आयोजन के दौरान प्लास्टिक के झंडों का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।

मुख्य समारोह में प्रातः 9 बजे जनपद अध्यक्ष रामरति यादव द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा, जिसके उपरांत वे मुख्यमंत्री के जनसंदेश का वाचन करेंगे। राष्ट्रगान की प्रस्तुति कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अजयगढ़ की छात्राओं द्वारा दी जाएगी। इसके बाद पुलिस बल, एनसीसी कैडेट्स, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस के छात्रों द्वारा परेड की सलामी दी जाएगी। समारोह को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए जिम्मेदारियाँ तय कर दी गई हैं। मुख्य अतिथि, जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों की देखरेख का जिम्मा तहसीलदार सुरेंद्र कुमार को सौंपा गया है, जबकि दीपेंद्र तिवारी बैठक व्यवस्था संभालेंगे। लोक निर्माण विभाग के उपयंत्री को मंच निर्माण और ग्राउंड की बैरिकेडिंग का कार्य दिया गया है। वहीं, मैदान के समतलीकरण, लाल मुरुम डालने और बैरिकेडिंग की व्यवस्था एनसीसी अधिकारी करेंगे। सुरक्षा के दृष्टिगत प्रभात फेरी के दौरान पूरे नगर में पुलिस बल तैनात रहेगा।

कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी, जिसकी अधिकतम समयावधि 5 मिनट निर्धारित की गई है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के चयन के लिए तहसीलदार सुरेंद्र कुमार और सीईओ की समिति गठित की गई है। समारोह के समापन पर उत्कृष्ट, ईमानदार और सराहनीय कार्य करने वाले कर्मचारियों एवं नागरिकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।